



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

सोमवार, 15 सितम्बर, 2025 / 24 भाद्रपद, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-09, 11 सितम्बर, 2025

संख्या: पीसीएच-एचए (3)19/2007-I/688176/2025.—क्योंकि विभाग में जिला सोलन के विकास
खण्ड कुनिहार की ग्राम सभा कोठी का नाम बदलकर हरिपुर करने और ग्राम सभा कुनिहार का नाम बदलकर
128-राजपत्र / 2025-15-09-2025 (5741)

नगर स्थावां करने हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सोलन के विकास खण्ड कुनिहार की "ग्राम सभा कोठी" का नाम बदलकर "हरिपुर" करने और "ग्राम सभा कुनिहार" का नाम बदलकर "नगर स्थावां" करने हेतु प्रस्ताव करते हैं और यथाअपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक आक्षेप/सुझाव आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने एवं जिला सोलन के उपायुक्त को उक्त बारे आक्षेप को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;

यदि ग्राम सभा कोठी का नाम बदलकर हरिपुर करने और ग्राम सभा कुनिहार का नाम बदलकर नगर स्थावां करने बारे उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करने हों तो वे अपने आक्षेप/सुझाव इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से 30 दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला सोलन को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;

राज्य सरकार, जिला सोलन के, विकास खण्ड कुनिहार की ग्राम सभा कोठी का नाम बदलकर हरिपुर करने और ग्राम सभा कुनिहार का नाम बदलकर नगर स्थावां करने के सम्बन्ध में अंतिम अधिसूचना, उपायुक्त, जिला सोलन (हि0प्र0) की सिफारिश के दृष्टिगत जारी करेगी।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
सचिव (पंचायती राज)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप-तहसील भड़ोली,
जिला कांगड़ा, हि0 प्र0**

किस्म मु0 :

तकसीम हुकमन

तारीख पेशी : 19-09-2025

उनवान मुकद्दमा :

1. अमित कुमार पुत्र चमन लाल, 2. अंकिता पुत्री चमन लाल, 3. सरोज कुमारी पत्नी स्व0 चमन लाल, 4. वनवारी लाल पुत्र भागमल, उपरोक्त समस्त वासीगण महाल कटोई, मौजा चौकाठ, उप-तहसील भड़ोली, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश . . वादीगण।

बनाम

1. कस्तूरी लाल पुत्र भागमल, 2. मुकन्द लाल पुत्र भागमल, 3. सुख राम पुत्र साधू राम, 4. जगदीश राम पुत्र साधू राम, 5. क्रोधू पुत्री साधू राम, 6. कौशल्या देवी पुत्री साधू राम, 7. प्रेम सिंह पुत्र ब्रह्म दास, 8. सुरिन्दर कुमार पुत्र सुदामा राम, 9. कशमीर सिंह पुत्र सुदामा राम, 10. प्रताप सिंह पुत्र सुदामा राम, 11. सुशील कुमार पुत्र सुदामा राम, 12. नितिन पटियाल पुत्र चतर सिंह, 13. सुषमा देवी विधवा चतर सिंह, 14. महिन्दर सिंह पुत्र मनसा राम, 15. राय सिंह पुत्र माधो राम, 16. पंकज कुमार पुत्र रमेश चंद, 17. बिस्सो देवी विधवा कांशी राम, 18. अनिल कुमार पुत्र लेख राज उपनाम देश राज, 19. रविन्दर कुमार पुत्र लेख राज उपनाम देश राज, 20. रमेश चन्द पुत्र लेख राज उपनाम देश राज, 21. धर्म चन्द पुत्र बतरीडा, 22. महिन्दर सिंह पुत्र फौन्दरी, 23. राय सिंह पुत्र फौन्दरी, 24. सोनू पुत्र फौन्दरी, 25. पार्वती पुत्री फौन्दरी, 26. कान्ता देवी पुत्री फौन्दरी, 27. पवन कुमार पुत्र फलातू, 28. निक्को देवी विधवा फलातू, 29. मनोहर लाल पुत्र जगत राम, 30.

प्रीतम चन्द पुत्र जगत राम, 31. जागो देवी विधवा जगत राम, 32. रमेश चन्द पुत्र भगत राम, 33. प्रदीप कुमार पुत्र केहर सिंह निवासी गांव बेडली, मौजा व उप-तहसील भड़ोली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

प्रतिवादीगण।

विषय.—हि0प्र0भू0 राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खाता नं0 129, खतौनी नं0 187 ता 200, खसरा कित्ता 31, रकबा तादादी 01-13-98 है0, जमाबन्दी वर्ष 2019-20, वाक्या महाल कटोई, मौजा चौकाठ, उप-तहसील भड़ोली, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 के भूमि विभाजन/तकसीम हेतु प्रार्थना-पत्र।

इशतहार

उपरोक्त विषय के संदर्भ में प्रार्थीगण ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय/कार्यालय में तकसीम हुकमन का मुकद्दमा दायर कर रखा है, जिसमें उपरोक्त दर्शाए गए प्रतिवादीगण में से प्रतिवादी नं0 3 से प्रतिवादी नं0 31 तक को समन साधारण तरीके/समन चस्पांगी से तामील न हो पा रहे हैं। इसलिए तकसीम हुकमन में सुने जाने के मौके के सिद्धांत को ध्यान से रखते हुए उपरोक्त सभी प्रतिवादीगण क्रमांक 3 ता0 31 को बजरिया इशतहार अखबार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन हाजिर आकार तारीख पेशी 19-09-2025 को दोपहर 2.00 बजे उक्त मुकद्दमा की पैरवी करना सुनिश्चित करें। गैरहाजिरी होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे व बाद पेशी तारीख किसी भी प्रकार का उजर या एतराज स्वीकार न होगा।

आज दिनांक 29-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भड़ोली, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप-तहसील भड़ोली,
जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

किस्म मु0 :

तकसीम हुकमन

तारीख पेशी : 19-09-2025

उनवान मुकद्दमा

:

1. अमित कुमार पुत्र चमन लाल, 2. अंकिता पुत्री चमन लाल, 3. सरोज कुमारी पत्नी स्व0 चमन लाल, 4. वनवारी लाल पुत्र भागमल, उपरोक्त समस्त वासीगण महाल कटोई, मौजा चौकाठ, उप-तहसील भड़ोली, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश . . वादीगण।

बनाम

1. कस्तूरी लाल पुत्र भागमल, 2. मुकन्द लाल पुत्र भागमल, 3. रण सिंह पुत्र सन्ता, 4. सुषमा देवी पुत्री लाल चन्द, 5. कुमारी अन्तरा पुत्री मनोज कुमार, 6. सुदर्शना देवी विधवा मनोज कुमार, 7. साहिल पुत्र स्व0 राजेश कुमार, 8. कसक पुत्री स्व0 राजेश कुमार, 9. शिवा कुमारी पुत्री स्व0 राजेश कुमार, 10. सुषमा देवी

विधवा राजेश कुमार, 11. कृष्ण देवी विधवा हेम राज उपरोक्त समस्त वासीगण महाल कटोई, मौका चौकाठ, मौजा चौकाठ, उप-तहसील भड़ोली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश प्रतिवादीगण।

विषय.—हि0 प्र0 भू0 राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खाता नं0 142, खतौनी नं0 217, 218, खसरा नं0 457, 459, 479, 478, कित्ता 4, रकबा तादादी 0-46-38 है0, जमाबन्दी वर्ष 2019-20 वाक्या महाल कटोई, मौजा चौकाठ, उप-तहसील भड़ोली, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 के भूमि विभाजन/तकसीम हेतु प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में प्रार्थीगण ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय/कार्यालय में तकसीम हुकमन का मुकद्दमा दायर कर रखा है, जिसमें उपरोक्त दर्शाए गए प्रतिवादीगण में से प्रतिवादी नं0 3 से प्रतिवादी नं0 11 तक को समन साधारण तरीके/समन चस्पांगी से तामील न हो पा रहे हैं। इसलिए तकसीम हुकमन में सुने जाने के मौके के सिद्धांत को ध्यान से रखते हुए उपरोक्त सभी प्रतिवादीगण क्रमांक 3 ता0 11 को बजरिया इश्तहार अखबार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे असालतन या वकालतन हाजिर आकार तारीख पेशी 19-09-2025 को दोपहर 2.00 बजे उक्त मुकद्दमा की पैरवी करना सुनिश्चित करें। गैरहाजिरी होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे व बाद पेशी तारीख किसी भी प्रकार का उजर या एतराज स्वीकार न होगा।

आज दिनांक 29-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भड़ोली, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप-तहसील भड़ोली,
जिला कांगड़ा, हि0 प्र0**

किस्म मु0 :

तकसीम हुकमन

तारीख पेशी : 19-09-2025

उनवान मुकद्दमा :

1. अमित कुमार पुत्र चमन लाल, 2. अंकिता पुत्री चमन लाल, 3. सरोज कुमारी पत्नी स्व0 चमन लाल, 4. वनवारी लाल पुत्र भागमल, उपरोक्त समस्त वासीगण महाल कटोई, मौजा चौकाठ, उप-तहसील भड़ोली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . वादीगण।

बनाम

1. कस्तूरी लाल पुत्र भागमल, 2. मुकन्द लाल पुत्र भागमल, 3. रण सिंह पुत्र सन्ता, 4. सुषमा देवी पुत्री लाल चन्द, 5. कुमारी अन्तरा पुत्री मनोज कुमार 6. सुदर्शना देवी विधवा मनोज कुमार, 7. साहिल पुत्र स्व0 राजेश कुमार, 8. कसक पुत्री स्व0 राजेश कुमार, 9. शिवा कुमारी पुत्री स्व0 राजेश कुमार, 10. सुषमा देवी विधवा राजेश कुमार, 11. कृष्ण देवी विधवा हेम राज, 12. भजन लाल पुत्र जोहण्डू, उपरोक्त समस्त वासीगण महाल कटोई, मौका चौकाठ, उप-तहसील भड़ोली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

प्रतिवादीगण।

विषय.—हि0 प्र0 भू0 राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खाता नं0 141, खतौनी नं0 215, 216, खसरा नं0 469, 475, कित्ता 2, रकबा तादादी 0—13—73 है0, जमाबन्दी वर्ष 2019—20 वाक्या महाल कटोई, मौजा चौकाठ, उप—तहसील भड़ोली, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 के भूमि विभाजन/तकसीम हेतु प्रार्थना—पत्र।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में प्रार्थीगण ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय/कार्यालय में तकसीम हुकमन का मुकद्दमा दायर कर रखा है, जिसमें उपरोक्त दर्शाए गए प्रतिवादीगण में से प्रतिवादी नं0 3 से प्रतिवादी नं0 12 तक को समन साधारण तरीके/समन चस्पांगी से तामील न हो पा रहे हैं। इसलिए तकसीम हुकमन में सुने जाने के मौके के सिद्धांत को ध्यान से रखते हुए उपरोक्त सभी प्रतिवादीगण क्रमांक 3 ता0 12 को बजरिया इश्तहार अखबार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन हाजिर आकार तारीख पेशी 19—09—2025 को दोपहर 2.00 बजे उक्त मुकद्दमा की पैरवी करना सुनिश्चित करें। गैरहाजिरी होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे व बाद पेशी तारीख किसी भी प्रकार का उजर या एतराज स्वीकार न होगा।

आज दिनांक 29—08—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भड़ोली, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप—तहसील भड़ोली,
जिला कांगड़ा, हि0 प्र0**

किस्म मु0 : तकसीम हुकमन

तारीख पेशी : 19—09—2025

उनवान मुकद्दमा :

1. अमित कुमार पुत्र चमन लाल, 2. अंकिता पुत्री चमन लाल, 3. सरोज कुमारी पत्नी स्व0 चमन लाल, 4. वनवारी लाल पुत्र भागमल, उपरोक्त समस्त वासीगण महाल कटोई, मौजा चौकाठ, उप—तहसील भड़ोली, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश . . वादीगण।

बनाम

1. कस्तूरी लाल पुत्र भागमल, 2. मुकन्द लाल पुत्र भागमल, 3. जितेन्द्र सिंह पुत्र ओम प्रकाश, 4. रविन्दर कुमार पुत्र ओम प्रकाश, 5. रजिन्दर कुमार पुत्र ओम प्रकाश, 6. तरसेम लाल पुत्र बाबू राम, 7. भूपेन्दर सिंह पुत्र बाबू राम, 8. किरणा देवी पुत्री राज कुमार, 9. सुदेश कुमारी विधवा राज कुमार, उपरोक्त समस्त वासीगण महाल कटोई, मौजा चौकाठ, उप—तहसील भड़ोली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रतिवादीगण।

विषय.—हि0 प्र0 भू0 राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खाता नं0 102, खतौनी नं0 135, 137, खसरा नं0 613/461, 612/461, 462/465, कित्ता 4, रकबा तादादी 0—46—95 है0, जमाबन्दी वर्ष 2019—20 वाक्या महाल कटोई, मौजा चौकाठ, उप—तहसील भड़ोली, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 के भूमि विभाजन/तकसीम हेतु प्रार्थना—पत्र।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में प्रार्थीगण ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय/कार्यालय में तकसीम हुकमन का मुकद्दमा दायर कर रखा है, जिसमें उपरोक्त दर्शाए गए प्रतिवादीगण में से प्रतिवादी नं० 3 से प्रतिवादी नं० 9 तक को समन साधारण तरीके/समन चस्पांगी से तामील न हो पा रहे हैं। इसलिए तकसीम हुकमन में सुने जाने के मौके के सिद्धांत को ध्यान से रखते हुए उपरोक्त सभी प्रतिवादीगण क्रमांक 3 ता० 9 को बजरिया इश्तहार अखबार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन हाजिर आकार तारीख पेशी 19-09-2025 को दोपहर 2.00 बजे उक्त मुकद्दमा की पैरवी करना सुनिश्चित करें। गैरहाजिरी होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे व बाद पेशी तारीख किसी भी प्रकार का उजर या एतराज स्वीकार न होगा।

आज दिनांक 29-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भड़ोली, जिला कांगड़ा, हि०प्र०।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप-तहसील भड़ोली,
जिला कांगड़ा, हि० प्र०

किस्म मु० : तकसीम हुकमन

तारीख पेशी : 19-09-2025

उनवान मुकद्दमा :

1. अमित कुमार पुत्र चमन लाल, 2. अंकिता पुत्री चमन लाल, 3. सरोज कुमारी पत्नी स्व० चमन लाल, 4. वनवारी लाल पुत्र भागमल उपरोक्त समस्त वासीगण महाल कटोई, मौजा चौकाठ, उप-तहसील भड़ोली, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश . . वादीगण।

बनाम

1. कस्तूरी लाल पुत्र भागमल, 2. मुकुन्द लाल पुत्र भागमल, 3. जितेन्द्र सिंह पुत्र ओम प्रकाश, 4. रविन्द्र कुमार पुत्र ओम प्रकाश, 5. रजिन्द्र कुमार पुत्र ओम प्रकाश उपरोक्त समस्त वासीगण महाल कटोई, मौजा चौकाठ, उप-तहसील भड़ोली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रतिवादीगण।

विषय.—हि० प्र० भू० राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खाता नं० 100, खतौनी नं० 131, 132, खसरा नं० 251, 252, 420, 422, 267, 421, 425, कित्ता 7, रकबा तादादी 02-27-33 है०, जमाबन्दी वर्ष 2019-20 वाक्या महाल कटोई मौजा चौकाठ, उप-तहसील भड़ोली, जिला कांगड़ा, हि०प्र० के भूमि विभाजन/तकसीम हेतु प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में प्रार्थीगण ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय/कार्यालय में तकसीम हुकमन का मुकद्दमा दायर कर रखा है, जिसमें उपरोक्त दर्शाए गए प्रतिवादीगण में से प्रतिवादी नं० 3 से प्रतिवादी नं० 5 तक को समन साधारण तरीके/समन चस्पांगी से तामील न हो पा रहे हैं। इसलिए तकसीम हुकमन में सुने

जाने के मौके के सिद्धांत को ध्यान से रखते हुए उपरोक्त सभी प्रतिवादीगण क्रमांक 3 ता0 5 को बजरिया इश्तहार अखबार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन हाजिर आकार तारीख पेशी 19-09-2025 को दोपहर 2.00 बजे उक्त मुकद्दमा की पैरवी करना सुनिश्चित करें। गैरहाजिरी होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे व बाद पेशी तारीख किसी भी प्रकार का उजर या एतराज स्वीकार न होगा।

आज दिनांक 29-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भड़ोली, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप-तहसील भड़ोली,
जिला कांगड़ा, हि0 प्र0**

किस्म मु0 :

तकसीम हुकमन

तारीख पेशी : 19-09-2025

उनवान मुकद्दमा :

1. अमित कुमार पुत्र चमन लाल, 2. अंकिता पुत्री चमन लाल, 3. सरोज कुमारी पत्नी स्व0 चमन लाल, 4. वनवारी लाल पुत्र भागमल, उपरोक्त समस्त वासीगण महाल कटोई, मौजा चौकाठ, उप-तहसील भड़ोली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . वादीगण।

बनाम

1. कस्तूरी लाल पुत्र भागमल, 2. मुकन्द लाल पुत्र भागमल, 3. जितेन्दर सिंह पुत्र ओम प्रकाश, 4. रविन्दर कुमार पुत्र ओम प्रकाश, 5. रजिन्दर कुमार पुत्र ओम प्रकाश उपरोक्त समस्त वासीगण महाल कटोई, मौजा चौकाठ, उप-तहसील भड़ोली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश प्रतिवादीगण।

विषय.—हि0प्र0भू0 राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खाता नं0 101, खतौनी नं0 133, 134, खसरा नं0 466, 467, 468, कित्ता 3, रकबा तादादी 0-21-08 है0, जमाबन्दी वर्ष 2019-20 वाक्या महाल कटोई, मौजा चौकाठ, उप-तहसील भड़ोली, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 के भूमि विभाजन/तकसीम हेतु प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में प्रार्थीगण ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय/कार्यालय में तकसीम हुकमन का मुकद्दमा दायर कर रखा है, जिसमें उपरोक्त दर्शाए गए प्रतिवादीगण में से प्रतिवादी नं0 3 से प्रतिवादी नं0 5 तक को समन साधारण तरीके/समन चस्पांगी से तामील न हो पा रहे हैं। इसलिए तकसीम हुकमन में सुने जाने के मौके के सिद्धांत को ध्यान से रखते हुए उपरोक्त सभी प्रतिवादीगण क्रमांक 3 ता0 5 को बजरिया इश्तहार अखबार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन हाजिर आकार तारीख पेशी 19-09-2025 को दोपहर 2.00 बजे उक्त मुकद्दमा की पैरवी करना सुनिश्चित करें। गैरहाजिरी होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे व बाद पेशी तारीख किसी भी प्रकार का उजर या एतराज स्वीकार न होगा।

आज दिनांक 29-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भड़ोली, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप-तहसील भड़ोली,
जिला कांगड़ा, हि0 प्र0**

किस्म मु0 :

तकसीम हुकमन

तारीख पेशी : 19-09-2025

उनवान मुकद्दमा :

1. अमित कुमार पुत्र चमन लाल, 2. अंकिता पुत्री चमन लाल, 3. सरोज कुमारी पत्नी स्व0 चमन लाल, 4. वनवारी लाल पुत्र भागमल, उपरोक्त समस्त वासीगण महाल कटोई, मौजा चौकाठ, उप-तहसील भड़ोली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . वादीगण।

बनाम

1. कस्तूरी लाल पुत्र भागमल, 2. मुकन्द लाल पुत्र भागमल, 3. धर्म चन्द पुत्र भागी, 4. शेर चन्द पुत्र भागी, 5. अमीं चन्द पुत्र भागी, 6. सुमन कुमारी पुत्री मंगतू, 7. राजेश पुत्र हरनाम सिंह, 8. तनुज पुत्र हरनाम सिंह, 9. सरला देवी विधवा हरनाम सिंह, 10. रघवीर सिंह पुत्र मान चन्द, 11. गौरां देवी पुत्री मान चन्द, उपरोक्त समस्त वासीगण महाल कटोई, मौजा चौकाठ, उप-तहसील भड़ोली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश प्रतिवादीगण।

विषय.—हि0प्र0भू0 राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खाता नं0 116, खतौनी नं0 167, 168, खसरा नं0 458, 488, 496, कित्ता 3, रकबा तादादी 0-61-78 है0, जमाबन्दी वर्ष 2019-20 वाक्या महाल कटोई, मौजा चौकाठ, उप-तहसील भड़ोली, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 के भूमि विभाजन/तकसीम हेतु प्रार्थना-पत्र।

इशतहार

उपरोक्त विषय के संदर्भ में प्रार्थीगण ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय/कार्यालय में तकसीम हुकमन का मुकद्दमा दायर कर रखा है, जिसमें उपरोक्त दर्शाए गए प्रतिवादीगण में से प्रतिवादी नं0 3 से प्रतिवादी नं0 11 तक को समन साधारण तरीके/समन चस्पांगी से तामील न हो पा रहे हैं। इसलिए तकसीम हुकमन में सुने जाने के मौके के सिद्धांत को ध्यान से रखते हुए उपरोक्त सभी प्रतिवादीगण क्रमांक 3 ता0 11 को बजरिया इशतहार अखबार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन हाजिर आकार तारीख पेशी 19-09-2025 को दोपहर 2.00 बजे उक्त मुकद्दमा की पैरवी करना सुनिश्चित करें। गैरहाजिरी होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे व बाद पेशी तारीख किसी भी प्रकार का उजर या एतराज स्वीकार न होगा।

आज दिनांक 29-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भड़ोली, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप-तहसील भड़ोली,
जिला कांगड़ा, हि0 प्र0**

किस्म मु0 :

तकसीम हुकमन

तारीख पेशी : 19-09-2025

उनवान मुकद्दमा :

1. अमित कुमार पुत्र चमन लाल, 2. अंकिता पुत्री चमन लाल, 3. सरोज कुमारी पत्नी स्व0 चमन लाल, 4. वनवारी लाल पुत्र भागमल उपरोक्त समस्त वासीगण महाल कटोई, मौजा चौकाठ, उप-तहसील भड़ोली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . वादीगण।

बनाम

1. कस्तूरी लाल पुत्र भागमल, 2. मुकन्द लाल पुत्र भागमल, 3. अनिल कुमार पुत्र लेख राज उपनाम देश राज, 4. रविन्दर कुमार पुत्र लेख राज उपनाम देश राज, 5. रमेश चन्द पुत्र लेख राज उपनाम देश राज उपरोक्त समस्त वासीगण महाल कटोई, मौजा चौकाठ, उप-तहसील भड़ोली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश प्रतिवादीगण।

विषय.—हि0प्र0भू0 राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खाता नं0 106, खतौनी नं0 141, खसरा नं0 456, कित्ता 1, रकबा तादादी 0-16-85 है0, जमाबन्दी वर्ष 2019-20 वाक्या महाल कटोई, मौजा चौकाठ, उप-तहसील भड़ोली, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 के भूमि विभाजन/तकसीम हेतु प्रार्थना-पत्र।

इशतहार

उपरोक्त विषय के संदर्भ में प्रार्थीगण ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय/कार्यालय में तकसीम हुकमन का मुकद्दमा दायर कर रखा है, जिसमें उपरोक्त दर्शाए गए प्रतिवादीगण में से प्रतिवादी नं0 3 से प्रतिवादी नं0 5 तक को समन साधारण तरीके/समन चस्पांगी से तामील न हो पा रहे हैं। इसलिए तकसीम हुकमन में सुने जाने के मौके के सिद्धांत को ध्यान से रखते हुए उपरोक्त सभी प्रतिवादीगण क्रमांक 3 ता0 5 को बजरिया इशतहार अखबार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन हाजिर आकार तारीख पेशी 19-09-2025 को दोपहर 2.00 बजे उक्त मुकद्दमा की पैरवी करना सुनिश्चित करें। गैरहाजिरी होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे व बाद पेशी तारीख किसी भी प्रकार का उजर या एतराज स्वीकार न होगा।

आज दिनांक 29-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भड़ोली, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

श्री सोनम बोध पुत्र करमा, मूल निवासी गांव व डाकघर पतलीकुहल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री सोनम बोध पुत्र करमा, मूल निवासी नेपाल, हाल निवासी गांव व डाकघर पतलीकुहल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री यंगडोल का जन्म 17-11-2020 को हुआ है। परन्तु ग्राम पंचायत हलाण-2 के जन्म व मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में दर्ज नहीं है। जिसे अब वह दर्ज करवाना चाहते हैं। इस बाबत क्षेत्रीय अभीकरणों से छानबीन करवाई गई तथा पाया गया कि कुमारी यंगडोल पुत्री श्री सोनम बोध की जन्म तिथि 17-11-2020 है तथा जन्म तिथि दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को कुमारी यंगडोल पुत्री सोनम बोध की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 04-10-2025 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत हलाण-2 के जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 23-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत श्रीमती तन्जिन डोलमा, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, कुमारसैन, तहसील कुमारसैन,
जिला शिमला (हि0प्र0)

मिसल सं० : 03/2025

तारीख संस्थापन : 20-08-2025

श्री उमा नन्द पुत्र स्व० श्री राम सहाई, निवासी गांव धुधवी, डाकघर कांगल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(1) के तहत राजस्व कागजात में नाम दुरुस्ती बारे दरखास्त।

श्री उमा नन्द पुत्र स्व० श्री राम सहाई, निवासी गांव धुधवी, डाकघर कांगल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र मय नकल जमाबन्दी साल 2021-2022, नकल परिवार रजिस्टर, प्रतिलिपि आधार कार्ड, राशन कार्ड तथा शपथ-पत्र सहित गुजार कर निवेदन किया है कि पटवार वृत्त कोटीघाट (मोहाल धुधवी) के राजस्व रिकार्ड में अराजी खाता/खतौनी नं० 7/10 में उसका नाम ईश्वर दत्त पुत्र स्व० श्री राम सहाई गलत दर्ज है, जबकि प्रार्थी के मुताबिक उसका नाम प्रस्तुत करवाए गए सबूतों के अनुरूप उमा नन्द पुत्र स्व० श्री राम सहाई दर्ज है।

इस बाबत क्षेत्रीय अभिकरण से छानबीन करवाई गई। मुताबिक रिपोर्ट क्षेत्रीय कानूनगो, आवेदक का नाम पटवार वृत्त कोटीघाट, मोहाल धुगवी के राजस्व रिकार्ड में ईश्वर दत्त पुत्र श्री राम सहाई दर्ज है जबकि मोहाल हथिया पटवार वृत्त कांगल में उसका नाम उमा नन्द पुत्र स्व० श्री राम सहाई दर्ज है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि प्रार्थी का नाम पटवार वृत्त कोटीघाट, मोहाल धुगवी के राजस्व सम्पदा के अराजी खाता/खतौनी नं० 07/10 में ईश्वर दत्त पुत्र स्व० श्री राम सहाई के स्थान पर उमा नन्द उर्फ ईश्वर दत्त पुत्र स्व० श्री राम सहाई दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह मिति 27-09-2025 को प्रातः 11.00 बजे तक अथवा इस तिथि से पूर्व किसी कार्य दिवस में असालतन/वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है अन्यथा इस तिथि तक कोई भी एतराज पेश न होने की सूरत में प्रार्थी का नाम कागजात माल में दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह आदेश आज दिनांक 28-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुए।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तन्जिन डोलमा
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
कुमारसैन, जिला शिमला (हि० प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०)

श्रीमती रजनी देवी पुत्री श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव एवं डाकघर बर्मा पापड़ी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०)।

बनाम

आम जनता

अदालती इशतहार/नोटिस।

प्रार्थिया श्रीमती रजनी देवी पुत्री श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव एवं डाकघर एवं ग्राम पंचायत बर्मा पापड़ी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2025-4850, दिनांक 16-07-2025 अनुलग्नक क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, दो गवाहन के ब्यान हल्फी, अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत बरमा पापड़ी, विद्यालय प्रमाण-पत्र, प्रति परिवार रजिस्टर एवं अन्य कागजात सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थिया ने आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 28-05-1980 है, जिसे वह और उसका परिवार अज्ञानतावश ग्राम पंचायत बरमा पापड़ी, तहसील नाहन में दर्ज न करवा सके हैं। परन्तु अब वह अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत बरमा पापड़ी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि० प्र० में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 03-10-2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर या एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्रीमती रजनी देवी पुत्री श्री ज्ञान चन्द की जन्म तिथि 28-05-1980 ग्राम पंचायत बरमा पापड़ी में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 01-09-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्रीमती कमलेश पुत्री श्री सलीन्द्र सिंह, निवासी गांव बूबी धार क्यारी, डाकघर एवं ग्राम पंचायत नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

अदालती इश्तहार/नोटिस।

प्रार्थिया श्रीमती कमलेश पुत्री श्री सलीन्द्र सिंह, निवासी गांव बूबी धार क्यारी, डाकघर एवं ग्राम पंचायत नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2025-6530, दिनांक 21-08-2025 अनुलग्नक क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, दो गवाहन के ब्यान हल्फी, अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत नाहन, अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु, सी0एम0ओ0 नाहन, प्रति परिवार रजिस्टर एवं अन्य कागजात सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थिया ने आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 01-01-1967 है, जिसे वह और उसका परिवार अज्ञानतावश ग्राम पंचायत नाहन, तहसील नाहन में दर्ज न करवा सके हैं। परन्तु अब वह अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 03-10-2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर या एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्रीमती कमलेश पुत्री श्री सलीन्द्र सिंह की जन्म तिथि 01-01-1967 ग्राम पंचायत नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे

आज दिनांक 01-09-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्री रुपेन्द्र सिंह पुत्र श्री हरीचन्द, निवासी गांव सराहां कलाहां, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0प्र0) (जन्म स्थान मोहाल अमरपर, नाहन, डाकघर एवं तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश)।

बनाम

आम जनता

अदालती इशतहार/नोटिस।

प्रार्थिया श्री रुपेन्द्र सिंह पुत्र श्री हरीचन्द, निवासी गांव सराहां कलाहां, तहसील पच्छाद जिला सिरमौर (हि0प्र0) (जन्म स्थान मोहाल अमरपुर, नाहन, डाकघर एवं तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2025-6318, दिनांक 18-08-2025 अनुलग्नक क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, दो गवाहन के ब्यान हल्फी, अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु नगरपालिका परिषद् नाहन, विद्यालय त्याग प्रमाण-पत्र, नकल परिवार रजिस्टर अन्य कागजात सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थी ने आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 19-02-1968 है, जिसे वह और उसका परिवार अज्ञानतावश नगरपालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन में दर्ज न करवा सके हैं। परन्तु अब वह अपनी जन्म तिथि नगरपालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 03-10-2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर या एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्री रुपेन्द्र सिंह पुत्र श्री हरीचन्द सिंह की जन्म तिथि 19-02-1968 नगरपालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे

आज दिनांक 01-09-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्री रमेश सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह, निवासी शमलायना, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

अदालती इशतहार/नोटिस।

प्रार्थिया श्री रमेश सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह, निवासी शमलायना, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) (जन्म स्थान मोहाल अमरपुर, नाहन, डाकघर एवं तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2025-5150, दिनांक 22-07-2025 अनुलग्नक क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, दो गवाहन के ब्यान हल्फी, अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र, रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत चाकली, विद्यालय प्रमाण-पत्र अन्य कागजात सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थी ने आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 03-02-1963 है, जिसे वह और उसका परिवार अज्ञानतावश ग्राम पंचायत चाकली, तहसील नाहन में दर्ज न करवा सके हैं। परन्तु अब वह अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत चाकली, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 03-10-2025 को प्रातः

10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर या एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्री रमेश चन्द पुत्र श्री सोहन सिंह की जन्म तिथि 03-02-1963 ग्राम पंचायत चाकली, तहसील नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे

आज दिनांक 01-09-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं० : /2025

दायर तिथि :

श्रीमती आमना बेगम पुत्री रसीद, निवासी पुरुवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थिया श्रीमती आमना बेगम पुत्री रसीद, निवासी पुरुवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू—एन/एसटी/बीएण्डडी/डिले केसिस/2024-5143, दिनांक 22-07-2025 द्वारा अनुलग्नक क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना की है कि स्वयं की जन्म तिथि 01-01-1964 है, जिसका इन्द्राज अज्ञानतावश प्रार्थिया ग्राम पंचायत पुरुवाला में दर्ज नहीं करवा सकी हैं जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 05-10-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी दिन कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करवा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्रीमती आमना बेगम पुत्री रसीद, निवासी पुरुवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 05-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा: श्रीमती बसन्ती पत्नी श्री रण सिंह, निवासी गांव भटवड़ी, डाकघर व ग्राम पंचायत बकरास, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती बसन्ती पत्नी श्री रण सिंह, निवासी गांव भटवड़ी, डाकघर व ग्राम पंचायत बकरास, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर के अनुमोदन सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें आवेदिका अपनी पुत्री मनिषा का नाम व जन्म तिथि 03-04-2007 को ग्राम पंचायत बकरास के जन्म पंजीकरण अभिलेख में दर्ज करवाना चाहती है जो भूलवश पहले दर्ज नहीं हुआ है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदिका की पुत्री का नाम व जन्म तिथि 03-04-2007 को ग्राम पंचायत बकरास, विकास खण्ड शिलाई के कार्यालय के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 30-09-2025 सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकते हैं। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका की पुत्री मनिषा का नाम व जन्म तिथि 03-04-2007 ग्राम पंचायत बकरास, विकास खण्ड शिलाई के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 01-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
(मोहन लाल),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा: श्री सुनील दत्त पुत्र श्री सुन्दर सिंह, निवासी ठाकुर निवास हरी कुंज कलोनी भगवती नगर लोअर खलीनी, शिमला, जिला शिमला (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सुनील दत्त पुत्र श्री सुन्दर सिंह, निवासी ठाकुर निवास हरी कुंज कलोनी भगवती नगर लोअर खलीनी, शिमला, जिला शिमला (हि0प्र0) का आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा

अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर के अनुमोदन सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें आवेदक ने दावा किया है कि उसकी पुत्री नेहा चौहान का जन्म दिनांक 10-02-2009 को गांव बाली, डाकघर बाली कोटी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में हुआ है। जिसका पंजीकरण ग्राम पंचायत के जन्म पंजीकरण अभिलेख में भूलवश पहले दर्ज नहीं हुआ है। अब आवेदक अपने पुत्री का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत बाली कोटी में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक की पुत्री का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत बाली कोटी, विकास खण्ड शिलाई के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 30-09-2025 सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकते हैं। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक के पुत्री का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत बाली कोटी, विकास खण्ड शिलाई के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 01-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
(मोहन लाल),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा: श्रीमती सत्या पत्नी श्री धन्ना, निवासी गांव क्यारी, डाकघर व ग्राम पंचायत शिरी क्यारी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती सत्या पत्नी श्री धन्ना, निवासी गांव क्यारी, डाकघर व ग्राम पंचायत शिरी क्यारी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर के अनुमोदन सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें आवेदिका अपनी जन्म तिथि 28-09-1965 को ग्राम पंचायत शिरी क्यारी के जन्म पंजीकरण अभिलेख में दर्ज करवाना चाहती है जो भूलवश पहले दर्ज नहीं हुआ है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदिका की जन्म तिथि 28-09-1965 को ग्राम पंचायत शिरी क्यारी, विकास खण्ड शिलाई के कार्यालय के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 30-09-2025 सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकते हैं। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत बकरास, विकास खण्ड शिलाई के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 01-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
(मोहन लाल),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा : श्री कपिल पुत्र श्री भीम सिंह, निवासी गांव भटनोल, डाकघर व ग्राम पंचायत काण्डो भटनोल, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री कपिल पुत्र श्री भीम सिंह, निवासी गांव भटनोल, डाकघर व ग्राम पंचायत काण्डो भटनोल, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर के अनुमोदन सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें आवेदक अपनी जन्म तिथि 15-05-2006 को ग्राम पंचायत काण्डो भटनोल के जन्म पंजीकरण अभिलेख में दर्ज करवाना चाहता है जो भूलवश पहले दर्ज नहीं हुआ है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक की जन्म तिथि 15-05-2006 को ग्राम पंचायत काण्डो भटनोल, विकास खण्ड शिलाई के कार्यालय अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 30-09-2025 सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकते हैं। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत बकरास, विकास खण्ड शिलाई के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 01-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
(मोहन लाल),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा: श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री गुमान सिंह, निवासी गांव व डाकघर शिलाई, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री गुमान सिंह, निवासी गांव व डाकघर शिलाई, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर के अनुमोदन सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें आवेदक ने दावा किया है कि उसकी पुत्री अनन्या नेगी का जन्म दिनांक 21-01-2021 को हुआ है। जिसका पंजीकरण ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज करवाना चाहता है जो भूलवश पहले दर्ज नहीं हुआ है। अब आवेदक अपने पुत्री का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत शिलाई में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक की पुत्री का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत शिलाई, विकास खण्ड शिलाई के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 30-09-2025 सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकते हैं। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक के पुत्री का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत शिलाई, विकास खण्ड शिलाई के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 01-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
(मोहन लाल),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा: श्री तपेन्द्र सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह, निवासी गांव शलियाँ, डाकघर व ग्राम पंचायत क्यारी गुण्डाह, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री तपेन्द्र सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह, निवासी गांव शलियाँ, डाकघर व ग्राम पंचायत क्यारी गुण्डाह, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर के अनुमोदन सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें आवेदक ने अपनी जन्म तिथि 31-12-2002 को ग्राम पंचायत क्यारी गुण्डाह के जन्म पंजीकरण अभिलेख में दर्ज करवाना चाहता है जो भूलवश पहले दर्ज नहीं हुआ है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक की जन्म तिथि 31-12-2002 को ग्राम पंचायत क्यारी गुण्डाह, विकास खण्ड शिलाई के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर

किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 30-09-2025 सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकते हैं। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक के जन्म पंजीकरण को ग्राम पंचायत बकरास, विकास खण्ड शिलाई के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 01-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
(मोहन लाल),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

CORRECTION OF NAME

I, Virender Singh s/o Sh. Bhim Singh, r/o Village Sailpab, P.O. Kulag, Tehsil Kupvi, District Shimla (H.P.) have changed my minor son's name from Maink (Old Name) to Mayank (New Name) which needs to be corrected in his birth certificate.

VIRENDER SINGH
s/o Sh. Bhim Singh,
r/o Village Sailpab, P.O. Kulag,
Tehsil Kupvi, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Ramana Devi w/o Sh. Munish Kumar, r/o Tika Bani Yol, Chhatair (495), Kangra (H.P.)-176052 declare that I have changed my son's name from Piykush to Piyuksh Choudhary. All concerned note it.

RAMANA DEVI
w/o Sh. Munish Kumar,
r/o Tika Bani Yol,
Chhatair (495), Kangra (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Pooja Chauhan w/o Sh. Gulab Singh Sharma, r/o Varun Lodge, Cemetery Road Sanjauli, Tehsil and District Shimla-171006 hereby declare that in my son Shiven Sharma's Matriculation Certificate, Roll No. 17289593, years 2025 (CBSE Board), his father's and mother's names have been wrongly entered as Gulab Singh and Pooja, which should be correctly read as Gulab Singh Sharma and Pooja Chauhan. Please correct this.

POOJA CHAUHAN
w/o Sh. Gulab Singh Sharma,
r/o Varun Lodge, Cemetery Road,
Sanjauli, Shimla-171006 (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Villson s/o Sh. Tarsem Lal, r/o 12 Ghar Ki Line, Sunder Building Area, Krishna Nagar, Shimla (H.P.) declare that I have changed my name from Wilson (Old Name) to Villson (New Name). All concerned please may note.

VILLSON
*s/o Sh. Tarsem Lal,
r/o 12 Ghar Ki Line,
Sunder Building Area,
Krishna Nagar, Shimla (H.P.).*